न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 20 / 2044

अनवान : –

1. सुमित्रा पुत्री अमरचन्द पुत्र काशीराम जाति मेघवंशी साकिन धानसिया तहसील नोहर।

– प्रार्थीया

बनाम्

1. सुरजा पुत्री बुधा पत्नी काशीराम जाति मेघवंशी साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. गुलजारी पुत्र काशीराम जाति मेघवंशी साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. गोरधन पुत्र काशीराम जाति मेघवंशी साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 21/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 313 के ख0न0 293 / 1597 की 35.09 बीघा भूमि बुधाराम पुत्र रूपा के नाम दर्ज थी।

बुधराम पुत्र दयाराम ने रोही मौजा धानसिया के खाता स0 313 के ख0न0 293 / 1597 की 35.03 की भूमि की वसीयत अपने दोहिते अमरचन्द की पत्नी सुमित्रा को वयीत कर दी थी तथा वसीयतकर्ता बुधराम का दिनांक 03.12.13 के फौत होने के बाद अकेली वादीया सुमित्रा वसीयतकर्ता की जगह खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि वर्तमान में भी वसीयतकर्ता मृतक बुधाराम के नाम दर्ज होने से गैरसायलान विरासतन या किसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की याजना बना रहे है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 313 के ख0न0 293 / 1597 की 35.09 बीघा में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने वकालतनामा पेश किया व निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:44:41 IST
Reason: SelfAttested

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आ[illegible] सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को [illegible]

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद [illegible] उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास कर[illegible]का प्रर्याप्त कारण हो[illegible]दग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि की वसीयत बुधा द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित की गई है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वसीयत की चित्रप्रति के मुताबिक उक्त वाद भूमि की वसीयत 12.04.2012 के मुताबिक उक्त भूमि की वसीयत बुधा द्वारा प्रार्थीया के पक्ष मे की गई है यानि की प्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत आदिनांक तक वैध है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा भी वसीयत के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है उपर्युक्त विवेचन प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां अस्थाई निषेधज्ञाा जारी किया जाना उचित है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि बुधा के नाम दर्ज है जबकि प्रार्थीया का कथन है कि बुधा द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में वसीयत की गई है एवं मुताबिक वसीयत प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 313 के ख0न0 293/1597 की 35.09 बीघा की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक.....21/11/25.....मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:44:41 IST
Reason: SelfAttested